

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 2223727  
फैक्स नं०-2224529

(एकल बीड पद्धति)

ई०-निविदा सूचना संख्या- 11/2020-21

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 12-09-2020
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 01-10-2020 से 10-10-2020 को 17:00 बजे तक।
- 4 निविदा जमा करने (अप लोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक -01-10-2020 से 14-10-2020 को 17:00 बजे तक।
- 5 वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 16-10-2020 को 16:00 बजे।
- 6 प्री विड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक:-06-10-2020 को 15:00 बजे।  
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 7 निविदा पत्र विकी का स्थान : [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।
- 8 निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यो अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रु० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	औरंगाबाद जिला के खुदवा थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.16	62400	5000	1180	4 माह
2.	औरंगाबाद जिला के देवकुण्ड थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.28	62600	5000	1180	4 माह
3.	औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद नगर थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.28	62600	5000	1180	4 माह
4.	औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.28	62600	5000	1180	4 माह
5.	औरंगाबाद जिला के नवीनगर थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.88	63800	5000	1180	4 माह
6.	औरंगाबाद जिला के दाउदनगर थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.20	62400	5000	1180	4 माह
7.	औरंगाबाद जिला के देव थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.39	62800	5000	1180	4 माह

8.	औरंगाबाद जिला के इसपुरा थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.30	62800	5000	1180	4 माह
9.	औरंगाबाद जिला के रिसियप थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.35	62700	5000	1180	4 माह
10.	औरंगाबाद जिला के सिमरा थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.22	62500	5000	1180	4 माह
11.	औरंगाबाद जिला के टण्डवा थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	32.02	64100	5000	1180	4 माह
12.	औरंगाबाद जिला के टण्डवा थाना परिसर की 800 फीट चहारदिवारी निर्माण (दक्षिण-पूर्व दिशा में)।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.60	63200	5000	1180	4 माह
13.	औरंगाबाद जिला के पौथू थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.31	62700	5000	1180	4 माह
14.	औरंगाबाद जिला के पौथू थाना परिसर की 800 फीट चहारदिवारी का निर्माण (दक्षिण-पूर्व दिशा में)।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	30.62	61300	5000	1180	4 माह
15.	औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.18	62400	5000	1180	4 माह
16.	औरंगाबाद जिला के गोह थाना परिसर में पुलिस/ जनता समन्वय हेतु सभा कक्ष का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	31.22	62500	5000	1180	4 माह
17.	औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद पुलिस केन्द्र परिसर की 500 फीट चहारदिवारी का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	19.25	38500	5000	1180	3 माह
18.	औरंगाबाद जिला पुलिस केन्द्र परिसर में पुलिस केन्द्र में 05 अदद पुरुष सिपाही हेतु शौचालय सह स्नानागार का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	13.55	27100	2500	1180	3 माह
19.	औरंगाबाद जिला पुलिस केन्द्र परिसर में पुलिस केन्द्र में 05 अदद मेहिला सिपाही हेतु शौचालय सह स्नानागार का विद्युतिकरण सहित का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	13.55	27100	2500	1180	3 माह
20.	गया जिलान्तर्गत रौशनगंज थाना में चहारदिवारी का उचीकरण एवं अवशेष भाग का निर्माण।	मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	11.90	23800	2500	1180	3 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- सक्षम प्राधिकार  
 11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निविदित हो निविदा में भाग ले सकते हैं (स्थानीय क्षेत्र के लिए निविदित निवंधन सिर्फ स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा), परन्तु उक्त कार्य का कार्य आवंटन प्राप्त होने के बाद विहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निवंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निवंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक विहार पुलिस भवन निर्माण निगम में निवंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

कृपया.....3/

(D)

(F)

(L)

12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब काट्रैटर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
13. वैसे संवेदक जो किसी भी विभाग में निविदा में भाग लेने से बंधित (Debar) हैं या काली सूची में अंकित हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट / बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमत्रंग सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा साकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अनाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा संबंधित जानकारी, एम / 22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, रोड नं०-२५, श्री कृष्णनगर, पटना-०१ के दुरभाष संख्या -०६१२ २५४५३०६ से प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निवधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निवधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निवधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की रचहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में अद्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय होना चाहिए। ई-निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल / अद्यक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना / मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना के कार्यालय के लेखा शाखा में, तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
21. अग्रधन के रूप में छ/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट / किसान विकास पत्र जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. निविदा एकल-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।
23. कम्पनी एकट के तहत निवधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एकट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निवधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/ कर्फ के नाम से ही मान्य होगा। ऐसे मामले में व्यवितरण नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अर्थीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. मूल निर्माण कार्य के लिए डिफेक्ट लाईविलिटी पिरियड ३ (तीन) वर्ष एवं मरम्मति कार्य के लिए १ (एक) वर्ष का होगा।
28. कुल प्राककलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (रेइवनत बमे) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूत्त्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदालोक खान एवं भूत्त्व विभाग में जमा की जायेगी।

29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा विधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यदेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।
32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र का मूल्य- बैंक ड्राफ्ट के रूप में, (ii) अग्रधन की राशि, (iii) आयकर पैन नं0, (iv) GST निवधन, (v) उचित श्रेणी का निवधन प्रमाण-पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, तथा (vii) कम्पनी एकट के तहत निवधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership form/ LLP में Partnership Deed निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये गये कागजातों पर विचार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभौति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राककलन क्षेत्रीय स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
34. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम रीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तदालोक में **Additional Performance Guarantee** एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
- परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
35. एकाधिक सफल निविदाकर्ता का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
36. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
37. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्णनिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकर्ता द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
38. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
39. निम्नलिखित आशय का शपत पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है-
- मेरे/ हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
  - मुझे/ हमें किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा बंथित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।

- (ग) मेरा / हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है परि / पत्नी, माता / पिता, भाई / बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमङ्गल में कनीय अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता / प्रमङ्गलीय लेखा पदाधिकारी / लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न रासी प्रमाण—पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विवि सम्मत दण्ड, मेरे निवंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
40. जौंच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ज्ञापांक— एच०क्यू— २९०

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

*मुख्य अधीक्षिता*  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक— १२/१९/२०२१

ज्ञापांक— एच०क्यू— २९१

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमङ्गल— पटना, दरभंगा, मुग्ध कैम्प डेहरी औन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियाथ प्रेषित।

पटना, दिनांक— १२/१९/२०२१

*मुख्य अधीक्षिता*  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— २९१

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अधीक्षण अभियता, कार्य अंचल— १/२, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक / कार्यपालक अभियंता, प्रमङ्गल— मोनिटरिंग / विद्युत / सहायक प्रावैधिक सचिव / निरूपण—१/२ / सचिव / मुख्य लेखापदाधिकारी / कायालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— १२/१९/२०२१

*मुख्य अधीक्षिता*  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— २९१

प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद एवं गया को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— १२/१९/२०२१

*मुख्य अधीक्षिता*  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।